

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म०प्र०)

क्रमांक 185/प्र०सं०सं०/ग्वासदुस/2022

बानमौर, दिनांक 20/09/2022

शुद्धि-पत्र

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के दुग्ध संयंत्र बामौर के 1000 केव्हीए क्षमता के विधुत ट्रांसफार्मर के रिवाईडिंग एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रकाशित ई-निविदा क्रं 2022_MPCDF_221496_1 में कुछ विन्दुओं पर स्पष्टीकरण एवं नियम व शर्तों में वृद्धि की आवश्यकता परिलक्षित हुई है।

1.) संदर्भित ट्रांसफार्मर के रिवाईडिंग एवं अनुरक्षण के दौरान निकलने वाले स्कैप (पुराने काँयल) एवं ट्रांसफार्मर में यथा उपलब्ध पुराना आँयल कार्य आबंटित फर्म को ही प्रदाय की जावेगी। इसलिए फर्मों से अनुरोध है। कि उक्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए प्राईज विड में दरों में आवश्यक कमी कर प्रतिस्पर्धा में एल-1 होने हेतु प्रतिस्पर्धी दरे प्रस्तुत।

2.) अनुरक्षण उपरांत संदर्भित ट्रांसफार्मर में नवीन आँयल संघ द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

3.) कार्य आबंटित फर्म से अपेक्षा की जाती है कि संदर्भित ट्रांसफार्मर का संदर्भित अनुरक्षण कार्य दुग्ध संयंत्र बामौर परिसर में ही सम्पादित करें। यदि आबंटित फर्म संदर्भित ट्रांसफार्मर को संयंत्र परिसर से अन्यत्र ले जाने हेतु अनुरोध किया जाता है। तो निम्न प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अन्यत्र ले जाया जा सकेगा।


- फर्म को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

- संघ में सुरक्षा निधि के रूप में समान क्षमता का कार्यशील ट्रांसफार्मर संघ को उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्त सुरक्षा निधि पर संघ द्वारा किसी भी प्रकार का व्याज अथवा किराया अथवा अतिरिक्त राशी प्रदाय नहीं की जावेगी। कार्य के सफल ट्राईल रन उपरांत फर्म द्वारा उपयोग की गई संदर्भित सुरक्षा निधि मूलता आपने व्यय पर वापस ले जा सकेगा।

- कार्य आबंटित फर्म को संघ के साथ 1000 रु के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप (तत्समय उपलब्ध कराया जावेगा) में नोटराईज अनुबंध निष्पादित करना होगा। तदोपरांत ही ट्रांसफार्मर अन्यत्र ले जाने के अनुमोदन उपरांत ही ले जाया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तों सामिल कर निविदा की अन्य नियम व शर्तें यथावत् है।




प्रभारी संयंत्र संचालन